न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैंप कोर्ट जबलपुर मध्य प्रदेश

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2016

1. प्रभात जैन पिता श्री महेन्द्र कुमार जैन
निवासी 830 जवाहरगंज जबलपुर

2. अरूण पाराशर पिता स्व. श्री बी.पी. पाराशर
निवासी 11 गली स्टेट बैंक कालोनी जबलपुर
सभी. तह. जिला जबलपुर ...पुनरीक्षणकर्तागण

श्री संजय शर्मा अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
04 APR 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, मध्यप्रदेश ग्वालियर

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टांप जबलपुर ... प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

कलेक्टर ऑफ स्टांप जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 1028/बी –103/48 (ख) 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.11.15 के विरूद्ध धारा 56 भारतीय स्टांप अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण

माननीय राजस्व मंडल

पुनरीक्षणकर्तागण निम्न लिखित आधारो पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर वांछित सहायता का विनम्र अनुरोध करते है–

प्रकरण का संक्षेप

1. यह कि कलेक्टर ऑफ स्टांप जबलपुर के समक्ष शिकायतकर्ता विष्णु प्रसाद शर्मा निवासी विजय श्री टावर एकता चौक विजय नगर जबलपुर के द्वारा इस आशय की शिकायत की गई कि पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा पुनरीक्षगणकर्ता उमेश पटेल के द्वारा शेष पुनरीक्षणकर्तागण के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ एटार्नी का पंजीयन नही कराकर राजस्व की चोरी की गई है कलेक्टर ऑफ स्टांप जबलपुर के द्वारा जाच प्रकरण कमांक 1028/बी –103/48 (ख) 2014–15 कायम कर भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 33 एवं 40 के प्रावधानो का उल्लेख कर आलोच्य आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्तागण को विवादित बनाये गये पावर ऑफ एटार्नी एवं विकय अनुबंध में वर्णित सम्पत्ति का बाजार मूल्य 1,94,80,000/– (एक करोड़ चौरान्वे लाख अस्सी हजार रू.) निधारित करते हुए कुल 14,00,000/– (चौदह लांख रू.) का मुद्रांक शुल्क जमा किये जाने का आदेश दिया गया है चूक करने पर बकाया भू–राजस्व के रूप में वसूल किये जाने का नोटिस दिया गया है जिस आदेश से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित आधारो पर पुनरीक्षगण आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-7044-एक/16 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
20/02/2018	अपीलार्थी प्रभात जैन द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण समाप्त किया जाए। शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः आवेदक अधिवक्ता को अनुरोध स्वीकार करते हुए प्रकरण समाप्त किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता समाप्त किया जावे [illegible]